


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

आदेश

क्रमांक B/1710

जबलपुर, दिनांक 22/03/2022

श्री कपिल जाम्बोलकर, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को "रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/3651. जबलपुर दिनांक 28.09.2021 जिसके द्वारा उनका निलंबन प्रतिसंहत (Revoke) किया गया है" के तारतम्य में मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 54बी(1) में निहित निर्देशों के अंतर्गत उनकी निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मानते हुये, उन्हें निलंबनकाल में देय जीवन निर्वाह भत्तों का समायोजन करते हुये निलंबनकाल के वेतन एवं भत्ते समस्त प्रयोजन हेतु देय होंगे।



(कृष्णामूर्ति मिश्र)

रजिस्ट्रार जनरल


पुष्पांकन क्रमांक B/1711

जबलपुर, दिनांक 22/03/2022

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. एस.पी.एस.ए (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
3. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.) स्था./लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्था./सेवापुस्तिका/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
8. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. श्री कपिल जाम्बोलकर, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपित ।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Rm